भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 62
दिनांक 02 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रसव के बाद महिलाओं का पोषण

62: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रसव के बाद महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा योजनागत व्यय कितना है;
(ख) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरीब वृद्ध महिलाओं की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क): भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य और संपोषण (आरएमएनसीएएच + एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

सरकार जीवनचर्या दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और किशोरों में रक्ताल्पता की व्याप्तता को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का कार्यान्वन करती है।

पिछले चार वर्षों के दौरान प्रसव पश्चात महिलाओं और बच्चों सहित लाभार्थियों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक एनएचएम के तहत एनीमिया के संबंधी व्यय (लाख रुपये में)			
2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
21038.14	19519.07	161369.22	27067.96

इसके अतिरिक्त, सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोर बालिकाओं (14-18 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए मिशन पोशन 2.0 के अंतर्गत संपूरक पोषण कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान संपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नवत हैं:

संपूरक पोषण कार्यक्रम के लिए जारी राशि (लाख रुपये में)				
2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
847591.84	866117.82	896321.89	929516.93	1076234.99

(ख) और (ग): भारत सरकार गरीब वृद्ध महिलाओं सहित वृद्ध जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल कार्यान्वित करती है जो निम्नवत हैं:

- राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों (>60 वर्ष की आयु) को समर्पित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में घर में सीमित/शय्याग्रस्त वृद्ध व्यक्तियों की परिचर्या के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिको द्वारा घरेलू दौरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप; जिला अस्पताल में वृद्धजनो की अंतर रोगी परिचर्या के लिए जराचिकित्सा वार्ड; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्ताह में दो बार वृद्ध व्यक्तियों के लिए जराचिकित्सा क्लिनिक की स्थापना करना शामिल हैं। इसके अलावा, वृद्धजनों के विशिष्ट रोगों के प्रबंधन के लिए सपर्पित जराचिकित्सा ओपीडी और जराचिकित्सा वार्ड के साथ क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्रों की स्थापना में भी सहायता दी जाती है।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पैकेज के तहत वृद्ध लोगों सहित जनसंख्या को निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। विशेषज्ञ सेवाओं को लोगों के करीब लाने के लिए वहां टेली-परामर्श सेवाओं का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम वृद्ध लोगों सहित जनसंख्या के बीच गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का समाधान करता है। जनसंख्या स्तरीय कार्यकलापों में जागरूकता सृजन, रोकथाम, जांच, शीघ्र पहचान, प्रबंधन और तीन कैंसरों - मुख, स्तन, ग्रीवा सहित सामान्य एनसीडी के उपचार के लिए उपयुक्त संस्थान में रेफर करना शामिल है।

*****